## GOVT. OF NCT OF DELHI DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI (RTI BRANCH, DTTE)

(Ph. No. 27321024, Email:- piohqtte.delhi@gov.in)

NO.F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.4674/1867-68

Dated: 20.11 18

Sh.Sanjay Khan S/o Sh. Majit Khan, H.NO. 392, Gali Kumrao Wali, Village

Mukhmel Pur, Delhi- 110036

Sub: Supply of information Under RTI Act-2005

With reference to your application received on 25/10/2018 vide ID No. 4674 addressed to the undersigned regarding supply of information under Right to Information Act 2005. The replies/information in r/o DTTE (HQ) Custodians of record whose help was taken u/s 5(4) of RTI Act 2005 is as under:

Information	Information provided as per available records in the branches
Sought	
Information as per Sl.No. 1	Information sought is not available in this office. However, your application has also been transferred to 17 nos concerned PIOs dated
·	26/10/2018 under Section 6(3) of RTI Act 2005.

As per provisions of the RTI Act, 2005 u/s 19 (1), if you are not satisfied, you may file an appeal to the 1st Appellate Authority. The address of First Appellate Authority is as under:-

The First Appellate Authority, Department of Training & Technical Education, Room No. 103, Ist Floor, Pitampura, Delhi- 110034.

> (JITENDER RATHI) PIO (RTI) DTTE

Copy for information to:-


1/The System Analyst (Computer Branch), DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).

श्रीमान PIO,

DTTE, Head Quarter,

Maya Muni Ram Marg Pitam Pura,

Delhi - 110088.



- विषय :- RTI act 2005 के तहत सुचना प्रदान करे।
- प्रश्न 1— दिल्ली की किस किस आई0 टी0 आई0 में CCI की salary Bio- Metric के अनुसार बनाई जाती है ? स्पष्ट किजिए।
- प्रश्न 2— अगर आई० टी० आई० में कोई CCI निर्धारित समय से महिने में तीन दिन से ज्यादा डयुटी पर देरी से आता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाती है ? स्पष्ट किजिए।
- प्रश्न 3— अगर कोई CCI किसी दिन या अनेको दिन दिन में केवल 7 घण्टे या उससे कम की डयुटी करता है तो उसको किस हिसाब से तन्ख्वा दी जाएगी ? स्पष्ट किजिए।
- प्रश्न 4— पिछले तीन महिनों कि सभी CCI की Bio-Metric हाजरी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए और इन्हें Verify कौन करता है ? स्पष्ट किजिए।
- प्रश्न 5— अगर किसी आई० टी० आई० में CCI 8 घण्टे से कम काम करने पर पुरे दिन के हिसाब से तन्खवा दी जाती है और उससे जो सरकारी पैसे का नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन होगा जौ Bio-Metric Verify कर रहा है वो या Sanction Authority या जो कम घण्टे काम करता है वो या तीनो स्पष्ट किया जाए। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो सम्बंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी।
- प्रश्न 6— दिल्ली की सभी आई0 टी0 आई0 में लेट आने वाले सभी CCI कर्मीयों का विवरण दे और उनकी Bio- Metric Verify करने वालों की जानकारी प्रदान करे।
- प्रश्न 7— CCI की Bio- Metric और उनकी छुटटीयों की रिकार्ड रखने को कार्य किसका होता है और सभी आई0 टी0 आई0 में कौन कौन कर रहा है ? स्पष्ट किजिए।
- प्रश्न 8— क्या किसी CCI को एग्जाम डयुटी और एडिमिश्न डयुटी के लिए CH दी जा सकती है जिसमें उनको अलग से पेमेंट दी जाती है। सभी आई० टी० आई० और डी० टी० टी० ई० मुख्यालय द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाई जाए और नियम स्पष्ट की प्रतिलिपि दी जाए।
- प्रश्न 9— बायो—मैट्रीक की मशीन किसके अर्न्तगत आही है Administration Branch या किसी अन्य के जानकारी दे व किस किस आई**0 टी0 आई0** में यह Administration Branch के अर्न्तगत नही है उसकी पुरी जानकारी प्रदान करे और क्यों नही है स्पष्ट करे।

प्रश्न 10— CCI के औरिजनल डोक्युमेंट किसके पास जमा होने चाहिए और सभी आई० टी० आई० में किसके पास जमा है, और किसी आई० टी० आई० में जमा नही है और कोई CCI उनका उपयोग वर्तमान में कहीं दुसरी नौकरी में कर रहा हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा स्पृष्ट किजिए।

नोट :- प्रत्येक प्रश्नो के जवाब हिंदीं भाषा में दें।

प्रार्थी

Sam

संजय खान पुत्र श्री मजीद खान मकान संख्या 392,

कुम्हारों वाली गली, गाँव मुखमेल पुर दिल्ली 36